

280

कार्यालय, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमनपदाधिकारी, बिहार, पटना।



पत्रांक / ऑडिट 4118 / LD-11-F.O-2022(Part-IX)

दिनांक 21.05.2025

☎ 0612-2222020

✉ sfocumdirector-bih@gov.in

सेवा में,

**Edugen World School,
Salempur, Sohsarai, Biharsharif.**

email-id- raj.jesu06@gmail.com)

Mob No- 9570000764

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक **08.04.2025** को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, बिहारशरीफ द्वारा दिनांक **11.04.2025** को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/ परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की होगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त संस्थान के प्रमाण पत्र की वैध तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विशाल शर्मा)

अपर निदेशक-सह-

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 01.जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02.अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(विशाल शर्मा)

अपर निदेशक-सह-

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

Sachin